न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 80/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बाघसिंह पुत्र देवराजसिंह जाति जाट निवासी कुण्डावा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।		1. खेताराम पुत्र जोधाराम 2. तोगाराम पुत्र जोधाराम 3. नारायणराम पुत्र जोधाराम 4. लाभूराम पुत्र जोधाराम 5. सवाईराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी कुण्डावा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना। 7. राज्य सरकार जरिये तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 21.06.2023

अधिवक्ता :–

1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री हापूराम विश्नोई विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 15.05.2024

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी के खेत ग्राम कुण्डावा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144/7 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम की भूमि आई हुई है, जो आगामी पदों में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जायेगी। जिसकी जमाबन्दी नकल व भू–नक्शा साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थी की पैतृक भूमि हैं जो प्रार्थी के नामान्तरकरण दर्ज के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त क[illegible] है व प्रार्थी स्वयं के नाम से है। प्रार्थी की उपरोक्त [illegible] लोहारवा के ग्राम कुण्डवा के विप्रार्थी संख्या 01 से 05 तक के खेत [illegible] नम्बर 144/6 क्षैत्रफल 5.8275 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम की भूमि आई हुई [illegible]ार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:28:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 05 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/सीमाज्ञान/250 दिनांक 08.03.2022 पटवारी हल्का लोहारवा को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 20.06.2022 को हल्का पटवारी लोहारवा द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थी व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर चैन चलाकर सीमाओ की पैमाईश कर माप बताया गया, खसरा नम्बर 144/7 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थी को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा कुण्डावा पटवार मण्डल लोहारवा तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। भूमि बैंक में रहन होने से शाखा प्रबन्धक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी [illegible] नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी [illegible] लोहारवा तहसील धोरीमना के खसरा [illegible] 144/7 [illegible]084 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:28:05 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें का पेश किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 07 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की।

विप्रार्थी संख्या 01 से 05 तक की ओर से अधिवक्ता श्री हापूराम विश्नोई उपस्थित हुए।

विप्रार्थी 06 को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 01.05.2024 को हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के वकील ने जबाब पेश नहीं कर सीधी बहस करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावों ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/ बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व विप्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम कुण्ड़ावा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144/7 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 144/7 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की [illegible] नहीं होने से सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:28:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी ग्राम कुण्डावा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144/7 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम कुण्डावा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144/7 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उसके ग्राम कुण्डावा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144/7 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक – 15.05.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:28:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner